



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072020-220360
CG-DL-E-03072020-220360

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1952]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2020/आषाढ 12, 1942

No. 1952]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2020/ASADHA 12, 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

का.आ. 2206(अ).—केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित (व्यक्ति) को एतद्वारा नामित करती है:

प्रो. डी. नारायणा राव, पूर्व महा अध्यक्ष, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/65/2017-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2020

S.O. 2206(E)—In exercise of the power conferred by Section 4 (e) of All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012) , the Central Government hereby nominates the following as member of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Kalyani :

Prof. D. Narayana Rao, Former General President, Indian Science Congress Association

The term of Office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/65/2017-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.